UPLL010025232026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 718/2026

श्रीमती किरन पाल पुत्र रामबहाल, निवासी ग्राम चोरेबेहरा, थाना किराकर, जिला जौनपुर, उ.प्र.।

–––––आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

–––––विपक्षी।

एवं

UPLL010025982026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 759/2026

उदयभान उम्र 38 वर्ष, पुत्र जाहर सिंह, निवासी ग्राम ननौरा, थाना जखौरा, जिला ललितपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

–––––विपक्षी।

मु०अ०सं० 106/2026
धारा 61(2), 111(2), 305(ए), 318(2),
317(2), 319(2), 336(3) बी.एन.एस.,
थाना बार, जिला ललितपुर।।

दिनाँकः 12.06.2026

मुकदमा अपराध संख्या 106/2026, धारा 61(2), 111(2), 305(ए), 318(2), 317(2), 319(2), 336(3) बी.एन.एस., थाना बार, जिला ललितपुर के प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता किरनपाल की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 718/2026 तथा आवेदक/अभियुक्त उदयभान की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 759/2026 प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं।

2. उक्त जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या, धारा एवं थाना से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. आवेदकगण/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों मय शपथ पत्रों में कहा गया है कि यह उनके प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हैं। इनके अतिरिक्त उनका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है। उक्त तथ्यों का खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

4. मैंने आवेदकगण/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 12:12:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

5. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रहीश द्वारा मुकामी थाने बार में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनाँक 11.05.2026 को उसके बहनोई जयराम ने रागिनी, भगवत सिंह, पप्पू, उदयभान व साहब सिंह के साथ मिलकर षडयन्त्र करके उसकी कोर्ट मैरिज ललितपुर में कराई थी। इसके बाद उक्त सभी अपने–अपने घर चले गये थे। उक्त सभी ने मिलकर रागिनी को बताया कि रहीश के परिवार के सभी लोगों को नशीला पदार्थ, खाने में मिला कर खिला देना और रहीश के घर का जेवरात व रुपये लेकर रात में भाग जाना। रागिनी और उपरोक्त लोगों के द्वारा दिनाँक 13.05.2026 की रात में वैसा ही किया गया और सभी को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खाना खिला दिया और उसका पूरा परिवार सौ गया। रागिनी उक्त लोगों के कहने से उसके सत्तर हजार रुपये नगद, पहना हुआ जेवर सोने की पुतरिया, सोने की पंचानी, एक करधनी, पायल, बडी लेकर भाग गयी। गले का मंगलसूत्र भी पहने थी। काफी तलाश किया, लेकिन नहीं मिली।

6. वादी मुकदमा रहीश द्वारा प्रस्तुत उक्त तहरीर के आधार पर मुकामी थाने बार में आवेदक/अभियुक्त उदयभान व सह अभियुक्तगण श्रीमती रागिनी, भगवत सिंह, पप्पू, साहब सिंह व जयराम के विरुद्ध अपराध संख्या 106/2026 पर धारा 61(2), 305(ए), 123, 318(2) बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर आवेदिका/अभियुक्त किरनपाल व सह अभियुक्तगण वैजन्ती, बंदना, आरती व दिनेश के नाम प्रकाश में आये और प्रकरण से धारा 317(2), 319(2), 111(2) व 336(3) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा 123 बी.एन.एस. का लोप किया गया। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

7. आवेदिका/अभियुक्त किरणपाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया है कि आवेदिका बेगुनाह एवं बेकसूर है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसका घटना से कोई सरोकार नहीं है। वह प्राथमिकी में नामजद नहीं है। उसे सिर्फ सह अभियुक्त उदयभान सिंह के द्वारा पुलिस को दिये गये बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। पुलिस द्वारा उससे अवैध बरामदगी दर्शित की गयी है। उसने कोई चोरी नहीं की है और ना ही चोरी करने में सहयोग किया है। एक वर्ष पूर्व ही उसका विवाह हुआ है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. आवेदक/अभियुक्त उदयभान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बेगुनाह एवं बेकसूर है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना की प्राथमिकी विलंब से दर्ज कराई गई है। वह सह अभियुक्तगण को नहीं जानता है। उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह, किसी सिंडिकेट का सदस्य नहीं है। प्राथमिकी एवं विवेचना में काफी विरोधाभास है। उसने कोई धोखादेही कर कोई प्रपत्र छल करने के प्रयोजन से प्रतिरूपण, साजिश व षड़यन्त्र नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार की कोई पहचान छिपाई है। वास्तविकता यह है कि उसके चचेरे भाई करतार की पुत्री वादी मुकदमा रहीश के परिवार में रोहित को ब्याही है तथा करतार की पुत्री रोशनी ने वादी मुकदमा व उसके परिवार के लोगों के विरुद्ध परेशान व प्रताड़ित करने के संबंध में पंचायत हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि वे मुकदमे करेंगे, जिस कारण उसे झूठा फंसा दिया गया है। पुलिस द्वारा दिनाँक 14.05.2026 को उसे पकड़कर थाने ले जाकर अनैतिक बंधन में रखकर उससे अवैध धन की मांग की गयी, जिसकी पूर्ति नहीं करने पर उसे झूठा फंसा दिया गया है।

9. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा धोखा देकर फर्जी शादी कराकर वादी मुकदमा के जेवरात व रुपये की चोरी की गयी है। उनके द्वारा गिरोह बनाकर संगठित अपराध कारित किया गया है। आवेदिका/अभियुक्त किरणपाल का इस मुकदमे के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमा अपराध संख्या 43/2023 धारा 147, 323, 504, 506, 419, 420 भा.द.सं., थाना अहरौरा, जिला मिर्जापुर व आवेदक/अभियुक्त उदयभान का इस मुकदमे के अतिरिक्त एक अन्य मुकदमा अपराध

संख्या 147/2012 धारा 379 भा.द.सं., थाना बामौरकला, जिला शिवपुरा, मध्यप्रदेश का आपराधिक इतिहास है।

10. केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात होता है कि घटना की प्राथमिकी वादी मुकदमा रहीश द्वारा आवेदक/अभियुक्त उदयभान व पांच अन्य श्रीमती रागिनी, भगवत सिंह, पप्पू, साहब सिंह व जयराम के विरुद्ध नामजद पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना आवेदिका/अभियुक्त किरणपाल व चार अन्य सह अभियुक्तगण वैजन्ती, बंदना, आरती व दिनेश के नाम प्रकाश में आये हैं। आवेदकगण/अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी से छल, कपट व कूटरचना करके वादी की शादी कराकर जेवरात व नगद रुपयों की चोरी करके संगठित अपराध कारित करने तथा उक्त चोरी के रुपये व जेवरात उनके कब्जे से बरामद होने का आरोप है।

11. **वादी मुकदमा रहीश ने विवेचक को दिये बयान में प्राथमिकी के कथनों का समर्थन करते हुए कहा है कि** उसके बहनोई जयराम ने दिनाँक 11.05.2026 को रागिनी, गवाह भगवत सिंह, पप्पू, उदयभान व साहब के साथ मिलकर षडयन्त्र कर उसकी कोर्ट मैरिज ललितपुर में कराई थी। इसके बाद उक्त सभी अपने–अपने घर चले गये थे। सभी ने मिलकर रागिनी को बताया कि रहीश के परिवार के सभी लोगों को नशीला पदार्थ खाना में मिलाकर खिला देना और रहीश के घर का जेवरात व रुपया लेकर रात में भाग जाना। रागिनी और अन्य लोगों द्वारा दिनाँक 13.05.2026 की रात में वैसा ही किया गया। सभी को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया गया और पहने हुए जेवरात व 70 हजार रुपये नगद लेकर भाग गयी।

12. **चश्मदीद साक्षीगण श्रीमती अतल, गोविन्द, अरविन्द, महेन्द्र व रविन्द्र ने विवेचक को दिये गये अपने बयान में बताया है कि** दिनाँक 11.05.2026 को रहीश कोर्ट मेरिज करके नई बहू लाया था। दिनाँक 13.05.2026 की शाम को बहू ने हलुवा बनाया था सभी घर वालों को खिला दिया था। दिनाँक 14.05.2026 को सुबह वादी मुकदमा के घर के जानवरों के उत्पात करने पर साक्षी महेन्द्र ने सभी परिवारजन (जो 8 बजे तक सो रहे हैं), को उठाया। जब घर पर नई बहू को देखा गया तो वह नहीं मिली। संदेह होने पर घर के अंदर चैक किया गया तो घर में रखे संदूक का ताला खुला हुआ था। चैक करने पर 70 हजार रुपये गायब मिले। बहू जेवर व 70 हजार रुपये लेकर गायब हो गयी थी।

13. केस डायरी पर उपलब्ध फर्द बरामदगी के परिशीलन से ज्ञात होता है कि दिनाँक 19.05.2026 को उपनिरीक्षक अशोक कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे पर बांसी बस स्टैण्ड से अभियुक्त/आवेदक उदयभान को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से 1170 रुपये व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। आवेदक/अभियुक्त उदयभान से की गयी पूछताछ के आधार पर सह अभियुक्तगण साहब सिंह, दिनेश, वैजन्ती देवी, वंदना, आरती, किरण पाल (आवेदिका/अभियुक्त) व पूजा के नाम प्रकाश में आए और पुलिस बल द्वारा आवेदिका/अभियुक्त किरणपाल व सह अभियुक्तगण वैजन्ती, बंदना, आरती, पूजा गौतम (रागिनी), दिनेश व विजय को गिरफ्तार किया गया है।

14. इस प्रकार पुलिस बल द्वारा सर्वप्रथम आवेदक/अभियुक्त उदयभान को गिरफ्तार किया गया और उससे बरामदगी होने पर उसकी निशानदेही पर आवेदिका/अभियुक्त किरण पाल व सह अभियुक्तगण वैजन्ती, बंदना, आरती, पूजा गौतम (रागिनी), दिनेश व विजय को गिरफ्तार किया गया है तथा वैजन्ती के कब्जे से 1220 रुपये व पीली धातु की पांचली का एक लॉकेट (बड़ा), 2 मुंगे पीली धातु व एक अदद नोकिया कम्पनी का की–पैड मोबाइल फोन, सह अभियुक्ता वंदना के कब्जे से दाहिने हाथ में लिए बैग की ऊपर की चैन में रखी प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट डिब्बी से 630 रुपये नगद व पीली धातु की पांचली का 1 लॉकेट, 2 मुंगे पीली धातु व एक अदद मोबाइल फोन, सह अभियुक्ता आरती के कब्जे से दाहिने हाथ में लिए बैग की ऊपर की जेब से 250 रुपये नगद व पीली धातु की पांचली का 1 लॉकेट व 2 मुंगे पीली धातु एवं एक मोबाइल फोन, **किरणपाल (आवेदिका/अभियुक्ता) के कब्जे से दाहिने हाथ में लिए बैग की ऊपर की चैन से 450 रुपये नगद व पीले धातु की पांचली का एक लॉकेट, 2 मुंगे पीली धातु व एक ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन,**

सह अभियुक्ता पूजा गौतम के कब्जे दाहिने हाथ में लिए पर्स से एक मंगलसूत्र पीली धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु, एक करधनी सफेद धातु, दो जोड़ी बिछवे सफेद धातु, एक लॉकेट सफेद धातु, पांचली का एक लॉकेट तथा एक अदद टैक्नो कम्पनी का मोबाइल फोन, दिनेश के कब्जे से पहनी पैंट की जेब से 1620 रुपये एवं विजय कुमार के कब्जे से पहने पैंट की जेब से 1400 रुपये व नोकिया कम्पनी का की–पैड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। **वादी मुकदमा रहीश ने मौके पर आकर अभियुक्तगण से बरामद जेवरात उसका होने की पहचान व तस्दीक की है।**

15. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, कारित अपराध की प्रकृति तथा दण्ड, **अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर फर्जी शादी कराकर जेवरात व रुपये की चोरी का संगठित अपराध करने एवं फर्जी विवाहनामा तैयार करने तथा वादी के चोरीशुदा जेवरात बरामद होने के** तथ्य दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, जमानत का आधार पर्याप्त नहीं हैं। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 106/2026, धारा 61(2), 111(2), 305(ए), 318(2), 317(2), 319(2), 336(3) बी.एन.एस., थाना बार, जिला ललितपुर के प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता किरनपाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 718/2026 तथा आवेदक/अभियुक्त उदयभान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 759/2026 निरस्त किये जाते हैं। जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 759/2026 पर रखी जाए।

दिनाँकः 12.06.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।